


अध्याय 2: मौजूदा प्रणालियों और कार्यप्रणालियों की पर्याप्तता

2.1 एक आदर्श कर प्रणाली वह होगी जिसमें सभी देय कर स्वैच्छिक अनुपालन से सरकार तक पहुँचे। कर अंतराल संग्रहणीय कर और सरकार द्वारा संग्रहित कर के बीच के अंतर को दिखाता है। कर अंतर को कम करना ही एक अच्छे प्रशासन का लक्ष्य होता है जिसके लिए वह प्रयास करता है।

2.2 1 जुलाई 2012 तक विभाग ने विभिन्न सेवा श्रेणियों के अंतर्गत क्रियाओं के नियोजन पर आधारित एसटी एकत्रित किया। कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक किसी व्यक्ति के हाथों में कर योग्य मूल्य सीमा मूल्य से अधिक है तो सामान्यतः कर दायित्व बनता है। परन्तु सेवाओं के आयात के संबंध में, कानून ऐसे सीमा मूल्य को स्वीकार नहीं करता। हमने सेवाओं के आयात के संबंध में कर संग्रहण को उच्च सीमा तक बढ़ाने में प्रणालियों और कार्यप्रणालियों की मजबूती की जांच की।

सूचना एकत्रण का महत्व

2.3 विभागीय आंकड़े दर्शाते हैं कि वि.व.05 से वि.व.11 की अवधि के दौरान, निर्धारितियों की वार्षिक वृद्धि दर ने वि.व.09 से गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई। वि.व.05 से वि.व.11 की अवधि के दौरान



क्षेत्र तक सीमित करते हुए, सूचना के स्त्रोतों पर गौर करने का निर्णय लिया।

2.4 सेवाओं के आयात पर एसटी का भुगतान करने के उत्तरदायी व्यक्तियों में, उनके सेवा प्रदाता/निर्माता के आधार के केन्द्रीय उत्पाद और एसटी विभाग पर पहले से ही पंजीकृत के अलावा अन्य केवल सेवा प्राप्तकर्ता श्रेणी के अंतर्गत देनदार होंगे। पहले से ही पंजीकृत सेवा प्रदाताओं या निर्माताओं के संबंध में, भी सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता को अनुपालन किया जाना चाहिए। सीमा-पार से किए गए लेन-देनों के संबंध में विश्वसनीय सूचना कर आधार के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कर अंतराल विश्लेषण

विभाग कर संग्रहित डाटा के विश्लेषण के लिए करयोग्य सेवाओं के मूल्य और तंत्र पर पर्याप्त डाटा उपलब्ध न होने के कारण सेवाओं के आयात के संबंध में कर अंतराल के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाया।

2.5 विदेश से कर योग्य सेवाओं से संबंध में प्रतिफल के रूप में भुगतानों से संबद्ध सूचना कर योग्य मूल्य के निर्धारण हेतु और कर संग्रहणीय आंकड़ों के रूप में अत्यावश्यक होगी। आरबीआई द्वारा लाईसेंसधारी प्राधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध डाटा इसके लिए एक मुख्य स्रोत होगा। दूसरी और संग्रहित कर हेतु, हम प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के लेखा आंकड़ों का उल्लेख कर सकेंगे, बशर्ते लेखे विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत सेवाओं के आयात के संबंध में संग्रहित सेवा कर दर्शाएँ।

2.6 हमने देखा कि लेखा परीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत चयनित 14 आयुक्तालयों में से केवल चेन्नै एसटी आयुक्तालय ने भारत से बाहर सेवा प्रदाताओं की प्राप्तियों के साथ संयोजन में आरबीआई को संबोधित करते हुए कार्यवाही करने की पहल की। मुम्बई में एसटी II आयुक्तालय ने कहा कि आरबीआई से डाटा के संग्रहण के लिए प्रयास किये जा रहे थे। डीजीएसटी मुम्बई ने भी जुलाई 2012 तक आरबीआई/प्राधिकृत डीलरों से डाटा संग्रहित नहीं किया था।

2.7 हमने यह भी देखा कि वित्तीय अधिनियम की धारा 65(105) के अंतर्गत सूचीबद्ध 119 सेवा श्रेणियों के संबंध में, केंद्रीय सरकार ने लेखांकन शीर्ष निर्धारित किये जिनके अंतर्गत किसी भी प्राप्त भुगतान की गणना की जानी थी। हमने पाया कि सेवाओं के कर-निर्धारण के विस्तृत दृष्टिकोण पर आधारित नई नकारात्मक सूची दिनांक 20 नवम्बर 2012 टीआरयू परिपत्र 165/16/2012-एसटी के अंतर्गत सीबीएसई ने भी ऐसी सेवा विशिष्ट लेखांकन कोड को पुनः निर्माण का ध्यान रखा। अभी तक, यद्यपि सेवाओं के आयात के संबंध में कर संग्रहण से संबद्ध पृथक लेखांकन शीर्ष निर्धारित नहीं किये गये हैं। इसलिए, प्रधिकारी विदेश सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त सेवा की प्रकृति के आधार पर एकसमान सेवाओं के आयात के संबंध में संग्रहित एसटी को लेखांकन शीर्षों के अंतर्गत दर्शाएँ। इस प्रकार, विभाग वास्तविक कर संग्रहणों को निश्चित करने हेतु प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक के पास उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग नहीं कर पाया। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सेवाओं से संबंधित एसटी के भुगतानों के विशिष्ट निर्धारित लेखांकन कोड (या अन्य तंत्र) की संभाव्यता पर विचार किया जाए। इस प्रकार लेखा परीक्षा में पाया गया कि जैसा 2012 में था, सेवाओं के आयात के संबंध में करयोग्य सेवाओं के मूल्य पर उपयुक्त सूचना विभाग के पास नहीं थी, न ही इसके पास ऐसी कोई प्रणाली थी जिससे सेवाओं के आयात से संबंधित कर संग्रहणों की मात्रा को निर्धारित किया जा सके। सेवाओं के मूल्य और संग्रहित राजस्वों पर डाटा के उपयोग हेतु तंत्र पर विभाग के पास विश्वसनीय डाटा न होने से, सेवाओं के आयात के संबंध में एसटी संग्रहणों से संबद्ध कर अंतराल को विभाग निर्धारित नहीं कर सका।

2.8 हालांकि मंत्रालय ने यह समस्या कि सेवाओं के आयात के संबंध में कर अंतराल के विश्वसनीय अवधारणा हेतु विभाग के पास उपलब्ध डाटा अपर्याप्त था, दूर नहीं की इसने कहा (मार्च 2013) कि महानिदेशक लेखापरीक्षा ने नवंबर 2011 से प्राधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध सूचना का

संग्रहण और उपयोग करने के लिए एक प्रयोग शुरू किया; अब तक 101 प्राधिकृत डीलरों में से 60 ने प्रत्युत्तर दिया। विभाग ने अभी तक अभिज्ञात 575 मामलों के विवरण अग्रेषित किये ताकि एसटी देनदारी के लिए उन्हें संबंधित मुख्य आयुक्तालयों को सत्यापन कर शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30 जुलाई 2012 के पत्र द्वारा डीजीएसटी ने जोनल मुख्य आयुक्तालयों को विदेशी विनियम के विप्रेषकों की पहचान और सेवाओं के आयात पर एसटी वसूलने हेतु प्राधिकृत डीलरों/बैंकों से मिलने के निर्देश दिये।

2.9 कर अंतराल विश्लेषण को सरल करने के उद्देश्य से सेवाओं के आयात के संबंध में एसटी के भुगतान के लिए निर्धारित विशिष्ट लेखांकन कोड (या अन्य तंत्र) के मामले में मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) हालाँकि, विशेष अतिरिक्त लेखांकन कोड के निर्माण सेवाओं को आयात सरल (लेखांकन कोड के प्रतिलिपिकरण को टालने के लिए) करने के लिए नहीं हो सकते, इस सूचना से संबंधित विवरणों को शामिल करने के लिए दिनांक 22 फरवरी 2013 की अधिसूचना सं.1/2013-एसटी द्वारा हाल में ही विवरणी संरूप को संशोधित किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी विशेष सेवा पर विचार करते हुए सेवाओं के आयात के पहलू के विश्लेषण में आयुक्तालयों को प्रतिनिधित्व करने हेतु मंत्रालय/विभाग सुझाव दे रहा था। मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा में उठाई गई टिप्पणियों को सही साबित करता है।

अन्य स्त्रोतों से सूचना

विभाग के पास आय कर विभाग के पास उपलब्ध अनिवासियों के भेजा हुआ धन पर सूचना उपयोग हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

2.10 हमने पाया कि अनिवासियों के भेजा हुआ धन से संबंधित सूचना के लिए अन्य स्त्रोत आय कर विभाग है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 5 दर्शाती है कि वह आय जो भारत में उपार्जित या उपचित (या उपार्जन या उपचय के लिए मानित है) और प्राप्त आय (या भारत में प्राप्ति हेतु मानित है) भारत में कर धान के योग्य है। ऐसे भेजे हुए धन के संबंध में कानून स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रावधान प्रदान करता है। हमने देखा कि अनिवासियों से भुगतानों में भारत के बाहर से सेवा के प्रावधान के मामले शामिल होंगे। ऐसे मामलों में एसटी देयता बनेगी।

2.11 आयकर नियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि कर निर्धारिती जो अनिवासियों के भुगतानों पर कर की कटौती करते हैं फार्म 27 Q में तिमाही रूप से टीडीएस रिटर्न फाइल करें। विभाग भेजा हुआ धन (दलाली फीस, इंजीनियरिंग सेवाएं, तकनीकी सेवाओं हेतु फीस आदि) की प्रकृति/उद्देश्य के बारे में शामिल विवरण के प्रत्येक प्राप्ति भुगतान के संबंध में फार्म 15 सीए और फार्म 15 सीबी (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाण-पत्र और विदेशी भुगतान प्राप्ति हेतु एक पूर्वापेक्षा के रूप में एक प्राधिकृत डीलर को प्राप्तक द्वारा दी गई सहमति) की एक प्रति भी प्राधिकृत डीलरों से प्राप्त करता है। प्राप्तक को www.tin-nsdl.com में जाकर फार्म 15 सीए में विदेश में भेजे हुए धन के विवरण अपलोड करने होते हैं।

2.12 हमने 14 चयनित आयुक्तालयों से इसकी जांच की कि क्या विभाग विदेशी सेवा प्रदाताओं से भेजे हुए धन संबंधी आय कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करते हैं। दस⁴ आयुक्तालयों ने उत्तर नहीं में दिया। मुम्बई एसटी-II आयुक्तालय ने कहा कि आय कर विभाग से डाटा एकत्र करने के प्रयास किये जा रहे थे। मुम्बई एलटीयू ने इंगित किया कि वह आगे से ऐसा डाटा एकत्र करेगा। हैदराबाद-II को छोड़कर जिसने संभावित निर्धारितियों की पहचान के उद्देश्य करने के लिए सर्वेक्षण करने का संकेत दिया, किसी अन्य आयुक्तालय ने अपंजीकृत सेवा प्राप्तकर्ता की पहचान के लिए कोई अन्य विशिष्ट कार्य विधियां नहीं सुझाई। डीजीएसटी द्वारा आय कर विभाग जैसे स्ट्रोतों से सूचना प्राप्त करने के संबंध में अभी भी सूचना प्रदान करनी शेष है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा सूचना की शेयरिंग के लिए रूपात्मकता तैयार करने के लिए दोनों विभागों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति बनाए जाने के बारे में सूचित किया (मार्च 2013)। इसके अतिरिक्त, विभाग एक ऐसी प्रणाली जिसमें डाटा हस्तांतरण को सुरक्षित करने के लिए सीबीईसी के सर्वर से आयकर सर्वर जुड़ा हो, की संभाव्यता की जांच कर रहा था।

आयकर विभाग की प्रणालियों के साथ तुलना

आरबीआई आयकर में निर्देशन के समान लेखाकार से प्रमाणपत्र/प्राप्तक द्वारा सहमति प्रस्तुत करने की अपेक्षा के न होने पर सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा होने वाली सेवा कर देयता के संबंध में अपूर्णता को ध्यान में न रखकर सेवाओं के आयात के संबंध में भुगतान प्राप्ति की अनुमति देता है।

2.13 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 लागू दरों पर अनिवासियों को किये गये भुगतानों या ऋण से आय कर की कटौती का आदेश देता है। आरबीआई की अपेक्षा है कि किसी अनिवासी को कोई प्राप्ति भुगतान नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे आय कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता, को 2002 में अनापत्ति प्रमाण पत्र पर बल न देते हुए ऐसे प्राप्ति भुगतान की स्वीकृत करने लिए संशोधित किया, यदि कोई व्यक्ति भुगतान करते हुए एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र (फार्म 15 सीबी में) के साथ-साथ एक सहमति पत्र (निर्धारण अधिकारी को संबोधित) प्रस्तुत (फार्म 15 सीए में) करता है। प्रमाण पत्र या सहमति पत्र आरबीआई/प्राधिकृत डीलरों को प्रस्तुत (प्रतिलिपि के रूप में) किये जाने चाहिए जो इसके बाद संबंधित निर्धारण अधिकारी को एक प्रति अग्रेषित करेगा। सहमति और प्रमाणपत्र का उद्देश्य उस चरण पर कर संग्रह करना है जब प्रेषण किया जाता है, अनिवासियों से इसके बाद की परिस्थिति में कर के लिये जाने की संभावना नहीं है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रेषण जारी करने से पूर्व एसटी की देयता की पूर्णता के संबंध में ऐसा कोई भी नियंत्रण अभी तक आरंभ नहीं किया गया है। हमने निम्नलिखित मामलों के माध्यम से कर अपवंचन के जोखिम को बताने का प्रयास किया है।

⁴ दिल्ली एसटी, बैंगलूरु एसटी, चेन्नै एसटी, बैंगलूरु एलटीयू, हैदराबाद II और IV, कोलकाता एसटी, नोयडा, अहमदाबाद एसटी और पंचकुला

बॉक्स 2.1: कर वंचन के जोखिम को दर्शाने वाले उदाहरण

क. मुम्बई एसटी-आयुक्तालय में मै. जूम डेवलपर्स लिंग (भारत के चार अन्य आयुक्तालयों में पंजीकरण सहित) ने विभिन्न प्राधिकृत डीलरों से प्राप्त पैन वार डाटा के अनुसार उद्देश्य संहिताओं के तहत जिसे मूल रूप में भारत से बाहर स्थित लोगों से सेवाओं के आयात के प्रति माना जा सकता है, 2007-08 से 2010-11 के दौरान कम से कम ₹ 513.15 करोड़ के समतुल्य विदेशी मुद्रा का विप्रेषण किया। निर्धारिती अपने पंजीकृत परिसर में नहीं मिला सके थे। आयुक्तालय उपरोक्त अवधि अथवा किसी पूर्व अवधि के लिए उसकी एसटी विवरणी मुहैया नहीं करा सका। मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि एंटी-इवेजन विंग ने 1.4.2006 से 31.3.2011 तक की अवधि शामिल कर ₹ 900 करोड़ से अधिक के लिए दिनांक 24 अक्टूबर 2011 तथा 9 अप्रैल 2012 के कारण बताओ ज्ञापनों के माध्यम से एसटी के भुगतान न करने के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। कारण बताओ ज्ञापन निर्धारिती के ज्ञात पते पर चिपकाते हुए, पावती की माँग करते हुए तथा पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करके जारी किए गए। आयुक्तालय ने सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु आगे की कार्रवाई करने के लिए अन्य कार्यालयों को भी लिखा। आयुक्तालय ने रिजर्व बैंक से बतायी गयी पार्टी द्वारा प्राप्ति भुगतानों की निगरानी तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी देने का अनुरोध करते हुए दिसम्बर 2012 में आरबीआई विदेशी विनियम विभाग को भी इसकी सूचना दी।

ख. मुम्बई एसटी-॥ आयुक्तालय में मै. तुलसीयात टैक प्राइवेट लिमिटेड ने भी ऐसे उद्देश्य संहिता के तहत, विभिन्न प्राधिकृत डीलरों से प्राप्त पैनवार डाटा के अनुसार भारत से बाहर स्थित लोगों से सेवाओं के आयात के प्रति मूल रूप से मानी जाए, 2010-11 के दौरान ₹ 64.87 करोड़ राशि की विदेशी मुद्रा का विप्रेषण किया। निर्धारिती अपने पंजीकृत परिसर में ढूँढ़ा न जा सका। आयुक्तालय भी उपरोक्त अवधि के लिए उसकी एसटी विवरणी उपलब्ध नहीं करा सका। किसी पूर्व अवधि के लिए विवरणी की प्रति भी आयुक्तालय से प्रतीक्षित है। पंजीकरण पर एसीईएस डाटा के अनुसार भारत के किसी भी आयुक्तालय में निर्धारिती का कोई पंजीकरण नहीं था। मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि यद्यपि निर्धारिती ने 15 मार्च 2011 को पंजीकरण कराया, इसने एसटी-3 रिटर्न्स दाखिल नहीं किए। निर्धारिती ने आयुक्तालय के बकाया एसटी भुगतान के अनुरोध तथा साथ-साथ जारी किए गए अनुवर्ती सम्मन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सरकारी प्राधिकारियों ने परिसरों को सील कर दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एसटी-3 रिटर्न्स को दाखिल न करने के लिए कारण बताओ ज्ञापन जारी कर दिया गया है।

2.14 आय कर नियमों के साथ-साथ यदि विप्रेषण के समय पर एसटी देयता की कवरेज हेतु कोई प्रावधान होता तो राजस्व प्राधिकारी संभवतः इस स्थिति में स्वयं एसटी देयों की उगाही कर लेते।

2.15 मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि विप्रेषण के समय प्राधिकृत डीलरों द्वारा एसटी के भुगतानों की पुष्टि संभव नहीं है क्योंकि रिवर्स प्रभार के अंतर्गत सेवा प्राप्तकर्ता आयकर के विपरीत, प्रत्येक लेनदेन के संबंध में नहीं अपितु, महीने/तिमाही के अंत पर एक मुश्त राशि में एसटी अदा करता है। इसके अतिरिक्त, स्त्रोत पर कर की कटौती के विपरित जोकि एक समान दरों पर साधारण परिकलन है, एसटी में विवेचनात्मक विषय शामिल होते हैं, जो सत्यापन हेतु प्राधिकृत डीलर के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं। छूट से संबंधित क्या क्रियाकलाप सेवा, की परिभाषा के अनुसार हैं, कर योग्य सेवा आदि जैसे वैधानिक मामलों का निर्धारण प्राधिकृत डीलरों के लिए कठिन होगा, निर्धारिती को कर के भुगतान और रिटर्न फाईल करने के ढंग द्वारा स्व-आंकलन हुए कर की अदायगी से पहले

सभी पहलूओं पर विचार करना होगा। प्रेषण सुविधा देने वाले बैंक द्वारा यह कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता है और कानूनी दायित्व सेवा के प्राप्तकर्ता का ही रहता है। तथापि मंत्रालय ने यह भी बताया कि वैकल्पिक रूप से यह उद्देश्य, उक्त पैरा 2.12 में विवरणनुसार आयकर प्राधिकारियों से अपेक्षित डाटा (फार्म 15 सीए और 15 सीबी) प्राप्त करके, पूरा किया जा सकता है।

2.16 परीक्षण के बाद लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि अपेक्षित 15 सीए और 15 सीबी दस्तावेज़ों को आयकर विभाग से प्राप्त करना एक सकारात्मक पहल है परन्तु यह राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर, यदि प्रेषण की अनुमति दी गई है, पर्याप्त नहीं होगा। (एसटी रिटर्नों की विस्तृत जांच के लिए निर्धारित मानदण्ड फाइल किये गये रिटर्नों का केवल 5 प्रतिशत है और आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा के लिए विभागीय आंकड़ों में निर्धारितियों की कवरेज (ए और बी श्रेणी) में लगभग 50 प्रतिशत की कमी दर्शाती है)। मंत्रालय प्रस्तावित पहल को और मजबूत बनाने की संभावना पर विचार कर सकता है ऐसा वे फार्म 15 सीए (प्रेषक द्वारा सहमति पत्र)/फार्म 15 सीबी (लेखाकार द्वारा प्रमाणपत्र) के कार्यक्षेत्र विस्तार दे के कर सकते हैं ताकि एसटी देयता का कवरेज भी सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा तंत्र स्थापित करने का परिणाम अधिकृत डीलरों की कानून में व्याख्या के संभावित मुद्दों से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं होगा। क्योंकि सम्बंधित सहमति पत्र प्रेषक की तरफ से होगा और प्रमाण पत्र लेखाकार का है। इसके अलावा एसटी नियमावली में प्रावधान है कि एसटी निर्धारित तारिख तक अदा करना है, सक्षमता प्रदान करने वाले नियम है और यदि आवश्यक समझा जाएं तो इसे संशोधित किया जा सकता है ताकि सेवाओं के आयात के अनुसार विशिष्ट स्थिति में प्रत्येक लेनदेन के सम्बन्ध में भुगतान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आयकर में भी स्त्रोत पर की गई कर की कटौती सरकारी खाते में केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख पर करनी होती है। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि सेवाओं का आयात संभवतया कभी कभार होने वाली स्थिति है जहां विभाग के लिए यह संभव है कि सरकार के खाते में क) एकल स्त्रोत श्रेणी में उपलब्ध डाटा (अर्थात् अधिकृत डीलरों के पास) तथा ख) प्रेषण के लिए निर्धारित चैनलों पर प्रेषकों की अनिवार्य निर्भरता से लगभग कुल कवरेज सुनिश्चित करें।

2.17 डीजीसीईआई का उपयुक्त उदाहरण के एक ही मामले में ₹ 900 करोड़ से अधिक के लिए कारण बताओ ज्ञापन जारी करना केवल निर्धारित नियमावली/प्रक्रियाओं में इस कमी के दूर करने की त्वरित आवश्यकता को दोहराता है।

2.18 नेट पर उपलब्ध जानकारी भी यह दर्शाती है कि कुछ देशों ने अपनी करारोपण प्रणाली में ऐसे नियंत्रण शामिल किये हैं। उदाहरणतया देश से बाहर धन भेजने से पहले ब्राज़ील के बैंक से नियमित बैंक स्थानांतरण के माध्यम से किसी आयातित सेवा के लिए किया गया भुगतान ब्राज़ील की पार्टी द्वारा करारोपण दस्तावेज़ नामतः डीएआरएफ (डाक्यूमैन्टु डी अरीकाडाकाओ डी रेसीटास फेडीराइस या फेडरल आय के संग्रहण की प्राप्ति के लिए दस्तावेज़) और कर भुगतान पुष्टिकरण अपेक्षित है। यदि ब्राज़ील की पार्टी सेवा के लिए क्रेडिट कार्ड के प्रयोग द्वारा या अन्य किसी तरीके से भुगतान करना चाहे जोकि बैंकों सैन्ट्रल द्वारा नियंत्रित न हो, तब भी डीएआरएफ दस्तावेज़ और कर भुगतान आवश्यक हैं ताकि धन के बारे में दस्तावेज़ों का पता रहे।

2.19 हमने यह भी पाया कि विभाग के पास प्रत्यक्ष कर के विपरित संभावित सूचना स्रोतों पर अमल करने के लिए संरक्षित प्रणाली नहीं थी संभवतः यह इस तथ्य के कारण है कि मुख्य केन्द्रीय कर विंगों में एसटी विंग हाल ही में शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त काम की मात्रा के अनुरूप पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई है।

2.20 जब हमने इंगित किया तो मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि सीबीडीटी के साथ डाटा शेयर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समय सीबीईसी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी का मूल्यांकन कर रहा है। इससे अलग स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संभावित निर्धारितियों के बारे में जानकारी पर आधारित सर्वेक्षण कमिशनरियां कर रही हैं। मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि विभाग के संवर्ग पुर्नगठन के प्रस्ताव में एसटी के कामकाज को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

2.21 लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि विभाग के और अधिकारियों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर डाटा तक की पहुँच को विस्तार देने के लिए मंत्रालय को आगे कार्यवाही करनी चाहिए। मंत्रालय ने सूचित किया कि वर्तमान में पहुँच क्षेत्र संरचनाओं में मुख्य आयुक्त स्तर तक ही सीमित है।

व्यवस्थित जानकारी संग्रह करने के लिए तंत्र की आवश्यकता

विभाग के पास पहचानी गई पार्टियों द्वारा वार्षिक सूचना रिटर्न फाइल करने के लिए अपेक्षित प्रावधान जैसी जानकारी संग्रह करने के लिए प्रणालीगत तंत्र का अभाव था।

2.22 आयकर विभाग में प्रणालियों में जांच विंग के अधीन काम कर रहे केन्द्रीय सूचना शाखा (सीआईबी) द्वारा जानकारी का संग्रह और मिलान शामिल है। प्रत्यक्ष करों पर टारक फोर्स की सिफारिश के आधार पर आयकर विभाग ने अन्य एजेन्सियों से प्राप्त इलैक्ट्रॉनिक सूचना के लिए एक कर सूचना नेटवर्क स्थापित किया जो एनएसडीएल की मेज़बानी में एक प्रवेशद्वार था। यह कर सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना जैसे स्रोत पर कटौती की सूचना के लिए एक भण्डार के रूप में काम करता है। कुछ पहचान किये गये व्यक्तियों द्वारा वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर), जिसमें उच्च मूल्य लेनदेन दर्शाये जाते हैं, के प्रस्तुतीकरण की प्रणाली भी है जो कि जानकारी का उपयोगी स्रोत हो सकता है जैसा कि 2004 में अपनी स्थापना के बाद से आयकर विंग में प्रणाली के बने रहने से सिद्ध होता है। उदाहरणतया आरबीआई के एक प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी रिटर्न फाईल करना होती है जिसमें आरबीआई बांडों पर ₹ 5 लाख से अधिक प्राप्तियों के संबंध में विवरण देने होते हैं। इसके अलावा कर प्राधिकारी विभिन्न एजेन्सियों जैसे बैंक, म्यूच्युअल फण्ड और क्रेडिट कार्ड कंपनियों से जानकारी ले सकते हैं, यदि किसी जांच या कार्यवाही के लिए उन्हें इसकी जरूरत हो। जानकारी संग्रह करने का स्रोत (अनिवार्य और वैकल्पिक स्रोत कोड निर्धारित कर दिए गये हैं) वार्षिक सूचना रिटर्नों (एआईआर) के माध्यम से संग्रहित विवरणों से अलग है, सीआईबी के पास प्रत्येक लेनदेन के लिए अलग कोड है बहुत से लेनदेनों के लिए लगभग 36 सीआईबी कोड और मूल्य सीमाएं निर्धारित हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसटी क्षेत्र में नियमित रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसा कोई

तंत्र नहीं है। सब से तीव्र गति से बढ़ता राजस्व क्षेत्र होने के नाते, यह आवश्यक है कि जानकारी एकत्र करने के लिए प्रयासों को व्यवस्थित किया जाये और कानून में पर्याप्त मान्यता दी जाये।

2.23 मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि इसकी व्यवहार्यता की जांच की जाएगी। एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सीबीईसी के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि एक वार्षिक सूचना रिटर्न प्रणाली की शुरूआत का परिणाम अधिक रिपोर्टिंग के साथ करदाताओं तथा अन्य हितधारकों पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि अपने स्थान में बने रहने के लिए निर्धारिती के भार के बिना नियंत्रण की आवश्यकता को पहचानकर सीबीईसी ने विदेशी प्रेषण के विवरण तथा मामलों की संख्या का एक अनुलग्नक उपलब्ध कराकर, रिटर्न के साथ संलग्न प्राधिकृत डीलरों/निर्धारिती की संभावना प्रकट की।

2.24 लेखापरीक्षा ने एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान उठी आशंकाओं की जांच की और जानकारी एकत्र करने की एक मजबूत प्रणाली की अनुभव की गई आवश्यकता को दोहराया जिसके बिना विभाग एक सीमित सीमा तक की निर्वहन करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि अधिकारी सरकार को देय एसटी राजस्वों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। सीबीईसी ने कहा कि अन्य बातों के साथ उद्देश्य एसटी कानून को लागू करने तथा राजस्व उगाही की लक्षित कार्यवाही को न्यायसंगत, उचित, पारदर्शी तथा कुशल तरीके से करने, सीमा पार माल की आवाजाही पर नियंत्रण, सेवाओं, बौद्धिक सम्पदा को सुनिश्चित करने आदि में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान डीजी (लेखापरीक्षा) ने सूचित किया कि नवम्बर 2011 से देश में 101 प्राधिकृत डीलरों से आंकड़े एकत्र करने के प्रयासों के बावजूद, वे केवल 60 डीलरों से ही आंकड़े एकत्र कर पाए। इस तरह की प्रतिक्रिया प्राधिकृत डीलरों द्वारा वार्षिक सूचना रिटर्न को प्रस्तुत करने की एक प्रणाली की शुरूआत के मामले को मजबूत करती है जिनके सभी एसटी निर्धारिती (बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की श्रेणी में) होंगे।

अनुपालन सत्यापन तंत्र

2.25 लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा तथा रिटर्न संवीक्षा नामक अनुपालन सत्यापन तंत्र की दो महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा सूचना से सम्बन्धित आयात की सेवाओं के उपयोग पर विचार किया। हमने कार्यक्षेत्र में कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति के रूप में निर्धारित प्रावधानों की पर्याप्तता का परीक्षण किया।

रिटर्न की संवीक्षा

विभाग ने संवीक्षा के लिए रिटर्न के चयन हेतु पैरामीटर के रूप में सेवाओं से संबंधित प्रेषणों पर आंकड़े निर्धारित नहीं किए थे।

2.26 लेखापरीक्षा ने पाया कि वहां पर दो अवसर हैं जहां सेवाओं के आयात की ओर प्रेषणों के मूल्य पर आंकड़े संवीक्षा हेतु रिटर्न के चयन के समय प्रथमतया श्रेणियों में संवीक्षा प्रक्रिया के दौरान काम आ सकते थे। विभागीय अधिकारी निर्धारित जोखिम मानदण्डों के आधार पर रिटर्न का चयन करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये जोखिम मापदण्ड, सेवाओं के आयात पर आंकड़ों के विचार को शामिल नहीं करते, एसटी संवीक्षा नियमावली तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के संदर्भ में निर्धारित

(परिशिष्ट 2.2) किए गए। हमने यह भी पाया कि निर्धारित संवीक्षा हेतु जोखिम मापदण्डों का आधार निर्धारिती द्वारा भरे गए रिटर्न में प्रस्तुत की गई जानकारी है। हालांकि हमने यह भी देखा कि बाहरी पैरामीटर के इन तथ्यों पर विचार हेतु अवसर है कि इकाई ने सुझाए गए स्थानीय कारकों में से एक है (निर्धारित पांच पैरामीटर से अलग) वे इकाईयां जिनका पिछले पांच सालों में ऑडिट नहीं किया है। तथापि हमने पाया कि चयनित कमिशनरियों में आयात की सेवाओं से संबंधित प्रेषणों के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़ों के अभाव में विचार संवीक्षा के लिए रिटर्न के चयन के दौरान अर्थ नहीं था। मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि विभाग जोखिम मापदण्डों के विकास के दौरान अन्यों के साथ इस पहलू पर भी विचार करेगा।

बॉक्स 2.2: गलत तरीके से ली गई छूट के व्याख्यात्मक मामले

क. जुलाई 2003 से व्यापार सहायक सेवा (बीएएस) पर एसटी लागू है अधिसूचना संख्या 18/2009-एसटी दिनांक 7 जुलाई 2009 के साथ पठित परिपत्र संख्या 118/12/2009-एसटी दिनांक 23 नवम्बर 2009 उस निर्यात माल के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत तक भारत के बाहर स्थित एजेंट को दिए गए कमीशन पर कुछ शर्तों के पूरा होने पर एसटी की छूट की अनुमति देता है जिसके लिए सेवाओं का उपयोग किया गया। इन शर्तों में एसटी निर्धारिती के रूप में वित्तीय अधिनियम की धारा 69 के तहत पंजीकरण तथा फॉर्म ईएक्सपी 2 में छह मासिक रिटर्न को जमा करने तथा फॉर्म ईएक्सपी I में सहायक आयुक्त को सूचना देना शामिल है।

मुम्बई | एसटी, मुम्बई || एसटी तथा ठाणे | आयुक्तालयों में सात निर्धारितियों⁵ ने बीएएस के तहत प्रभार दर्शाते हुए निर्यात कमीशन के प्रति ₹ 12.57 करोड़ का प्रेषण किया। निर्धारिती आवश्यक शर्तों को पूरा करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। छह पेन धारक तो वित्त अधिनियम की धारा 69 के तहत पंजीकरण की मूल आवश्यकता को भी पूरा नहीं करते थे। शर्तों का पूरा न करना भारत के बाहर से प्राप्त हुई ऐसी सेवाओं पर ₹ 1.29 करोड़ के एसटी देयता बनाता है। मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि इन निर्धारितियों में से चार के बारे में मामले एन्टी-ईवेजन की जांच के अधीन हैं तथा आगे की प्रगति की सूचना दी जाएगी। एक निर्धारिती निर्यातक ने धारा 69 के अंतर्गत पंजीकरण बाद में करवा लिया है तथा दूसरा जून 2012 में एसटी रजिस्ट्रेशन ले चुका है।

2.27 दूसरे वास्तविक संवीक्षा प्रक्रिया के दौरान विभागीय लेखापरीक्षकों को संवीक्षा नियमावली में निर्धारित जांचों का पालन करना है। इन जांचों में धारा 66ए के तहत एसटी प्राप्तकर्ता के रूप में दायित्व की पूर्ति से संबंधित जांच शामिल हैं। यद्यपि हमने लेखापरीक्षा के चयनित नमूने से उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली इकाईओं के लिए रिटर्न संवीक्षा के कार्य के बारे में चुनिन्दा कमिशनरियों से सूचना मांगी तथा कमिशनरियों से सूचना के लिए अब तक जवाब केवल नकारात्मक हैं। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि एसटी रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा हेतु निर्धारित मानदण्ड भरी गई रिटर्नों का मात्र 2 प्रतिशत है।

⁵ सिकैवेन्ट साइंटिफिक लिमिटेड, रैनबो सिल्क, रमका सिल्क, एनेट टैक्नोलॉजीज, वोरा एक्सपोर्ट्स, गोयल ग्रेब तथा फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.28 लेखापरीक्षा के लिए ईकाईयों के चयन हेतु स्थानीय जोखिम पैरामीटर के बीच लेखापरीक्षा नियमावली सूची एसटी को हाल ही में संशोधित (2011) किया तथा धारा 66ए के तहत जवाबदेही पर आधारित नए पैरामीटर शुरू किए। अन्यों के बीच ऐसे पैरामीटर पर आधारित चयन का प्रभाव कमिशनरियों द्वारा बनाए निर्धारिती मास्टर फाइलों के नियमित अद्यतन पर निर्भर होगा। लेखापरीक्षा ने 10° कमिशनरियों में निर्धारिती मास्टर फाइलों (प्राप्तकर्ता के रूप में निर्धारिती के पंजीकरण की स्थिति से संबंधित जानकारी को शामिल करते हुए) को अद्यतित न करना/अनियमित रूप से अद्यतित करना देखा। जैसाकि मंत्रालय के उत्तर में दर्शाया गया था (मार्च 2013) कुछ आयुक्तालयों (हैदराबाद IV एवं नोएडा) ने प्रतिक्रिया दी की अब वे निर्धारिती मास्टर फाईल बना रहे हैं एवं उनको उत्क्रम प्रभार से संबंधित डाटा के साथ अद्यतन कर रहे हैं। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि आयुक्तालयों में जांच के लिए अन्य मानदण्डों में से, डीजी (लेखापरीक्षा) निर्धारिती मास्टरफाईलों के संतोषजनक रखरखाव एवं अद्यतन की जांच करें। हमने यह भी देखा कि एसटी निर्धारितियों के परिसरों पर आयोजित लेखापरीक्षाओं में विभागीय लेखापरीक्षकों द्वारा एसटी निर्धारिती परिसरों पर किए जाने वाली जाचों में से एक धारा 66ए देयता से संबंधित होती है। यह एसटी लेखापरीक्षा नियमावली के प्रावधानों में सूचिबद्ध सुझावों की अनुपालना के अनुसार है।

निदेशालय की भूमिका

2.29 देश में एसटी प्रशासन के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए उत्तरदायी प्रमुख निकाय के रूप में एसटी निदेशालय को मुख्य क्षेत्रों जैसे सेवाओं के आयात के संबंध में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आरबीआई/अधिकृत डीलरों एवं आयकर विभाग जैसे लेखापरीक्षा स्रोतों के पास उपलब्ध सेवाओं के आयात के संबंध में किए गए प्रेषणों पर डाटा के इस्तेमाल में की गई कार्रवाईयों को, यदि कोई है, से संबंधित डीजीएसटी से लेखापरीक्षा ने सूचना मार्गीं थी। हमने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने एवं कर संग्रह में सुधार, कानून में परिवर्तन के लिए सिफारिशें, यदि कोई है, महानिदेशक (प्रणाली) को एसीईएस प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यकताओं से संबंधित सुझावों, सीबीईसी/टीआरयू को दिए गए अन्य सुझावों इत्यादि से संबंधित उठाए गए कदमों के विवरण भी मार्गे (नवम्बर 2012)।

हम डीजीएसटी के उत्तर की प्रतिक्षा कर रहे हैं (मार्च 2013)। लेखापरीक्षा का सुझाव था कि विभाग को समीक्षा करनी चाहिए एवं यदि आवश्यकता हो, डीजीएसटी के सशक्तिकरण पर विचार करना चाहिए ताकि कार्यालय एसटी संबंधित मामलों में इससे अपेक्षित अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। मंत्रालय ने कहा कि (मार्च 2013) एसटी निदेशालय का सशक्तिकरण एक समिति द्वारा जाँच के अधीन है, पहला कदम, यदि आवश्यकता है, कार्यालय को पुनः स्थापित करके बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।

⁶ मुम्बई एसटी-I,II, एलटीयू, हैदराबाद II एवं IV, कोलकाता एसटी, नोयडा, अहमदाबाद एसटी, पंचकुला एवं दिल्ली एसटी।

सिफारिशें

हमने सिफारिश की कि

क. विभाग सेवाओं के आयात से संबंधित एसटी देयता के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालना की सीमा का निर्धारण करने के लिए, अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध डाटा के प्रयोग के लिए यथास्थान एक तंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाए।

सिफारिशों के साथ सहमत होते हुए, मंत्रालय ने कहा कि सेवाओं के आयात के लिए अधिकृत डीलरों से सूचना के संग्रह के लिए डीजी (लेखापरीक्षा), डीजीएसटी में विशेष सेल स्थापित किए गए हैं। डीजी (लेखापरीक्षा) ने नवम्बर 2011 में अधिकृत डीलरों के पास विदेशी विनिमय भुगतानों से संबंधित सूचना के संग्रहण एवं उपयोग के लिए एक प्रक्रिया की शुरूआत की थी, जिसमें अब तक 60 अधिकृत डीलरों से डाटा संग्रह किया है।

लेखापरीक्षा कर अन्तर विश्लेषण को सरल करने एवं स्वैच्छिक अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए डाटा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत डीलरों से डाटा संग्रह एवं इसके उपयोग की (स्पष्ट रूप से परिभाषित डीजीएसटी, डीजी (लेखापरीक्षा) की अन्तर भूमिकाओं) के साथ एक विश्वनीय प्रणाली की आवश्यकता को दोहराती है।

ख. सीबीईसी कर अन्तर/साँचियिकी विश्लेषण को सरल बनाने के लिए सेवाओं के आयात से संबंधित विशिष्ट एसटी के भुगतान के लिए लेखाकरण संहिता (अथवा अन्य तंत्र) निर्धारित करने की व्यवहार्यता पर विचार करें। एक उपयुक्त तंत्र के निर्धारण के लिए सिफारिश को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि सेवाओं के आयात पर डाटा के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए एसटी-3 रिटर्न के फार्मेट पर पुनर्विचार किया गया है।

ग. मंत्रालय उपलब्ध स्त्रोतों के श्रेष्ठतम प्रयोग द्वारा राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक डाटा तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं एसटी विभाग के अधिकारियों की पहुँच को सक्षम करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर सकता है।

सिफारिश के साथ सहमत होते हुए, मंत्रालय ने कहा, कि सीबीडीटी के साथ सूचना साझा करने के लिए रूपात्मकता पर कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है एवं इस संबंध में कार्य आरंभ किया जा चुका है।

घ. सेवाओं के आयात में तीव्र वृद्धि प्राधिकृत डीलर द्वारा भेजी गई रकम जारी करने से पहले प्रेषक द्वारा एसटी की देयता के पूरा करने के प्रमाण को एक पूर्व आवश्यकता के रूप में अपेक्षित करने के नियंत्रण की आवश्यकता की तरफ संकेत करती है।

मंत्रालय ने कहा कि एसटी में सम्मिलित व्याख्यात्मक मुद्दों एवं संगणना में सम्मिलित जटिलताओं के कारण अधिकृत डीलर द्वारा एसटी के भुगतान की पुष्टि अथवा एसटी के लिए टीडीएस की शुरूआत व्यवहार्य नहीं है। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि वाँछित उद्देश्य वैकल्पिक रूप से आय कर अधिकारियों से डाटा प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा फिर से कहती है कि आय कर विभाग से अपेक्षित 15 सीए एवं 15 सीबी दस्तावेज प्राप्त करना यद्यपि एक सकारात्मक पहल है, परन्तु शायद यह विभाग के अनुपालन जाँच तंत्र को पर्यात्प सशक्ति किये बिना राजस्व की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ना हो। मंत्रालय सेवाओं के आयात की विनिर्दिष्ट आकस्मिकता में संव्यवहार आधारित एसटी के भुगतान के लिए प्रावधान बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, क) प्रपत्र 15 सीए (प्रेषक द्वारा वचन) एसटी देयता को भी कवर करने के लिए प्रपत्र 15 सीबी (लेखाकार द्वारा प्रमाणपत्र) के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने एवं ख) एसटी नियमों में संशोधन की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है।

ड़ विभाग ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए बाध्य व्यक्तियों की श्रेणियों में से एक के रूप में अधिकृत डीलरों के साथ एक एआईआर प्रणाली की शुरूआत की आवश्यकता पर विचार करें; विभाग विशिष्ट चिन्हित स्त्रोत सहिताओं पर आधारित सूचना के लिए कर प्रशासकों को सशक्त करने की संभावना का भी पता लगाए।

मंत्रालय ने कर अदाकर्ता पर अधिक बोझ पड़ने संबंधी चिंता जताई। यद्यपि यह सूचित किया गया कि विभाग कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जाँच करेगा।

च. विभाग जाँच के लिए रिटर्न चयन के उद्देश्य से सेवाओं के आयात के संबंध में भेजी गई रकम पर आधारित एक जोखिम मानदण्ड को शामिल किए जाने की संभावना पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने यह कहते हुए सिफारिश को स्वीकार किया कि विभाग एस टी-3 रिटर्न की जाँच के लिए जोखिम मानदण्ड निर्धारित करते समय सेवाओं के आयात के संबंध में भेजी गई रकम पर जोखिम मानदण्ड के शामिल किए जाने की व्यवहार्यता पर विचार करेगा।

छ. आयुक्तालय सुनिश्चित करे कि आन्तरिक लेखा परीक्षा सैल सेवाओं के आयात से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना वाली अर्द्धात्त निर्धारिती मास्टर फाइल बनाती है ताकि लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों का चयन करते समय इस मानदण्ड के प्रतिफल को सक्षम किया जा सके।

सिफारिश के साथ सहमत होते हुए, मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान एसटी लेखापरीक्षा मैनुअल पहले से ही इस पर विचार करता है। यद्यपि लेखापरीक्षा सिफारिश वर्तमान तंत्र के क्रियान्वयन के सशक्तिकरण से संबंधित है ताकि सेवाओं के आयात पर डाटा लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों के चयन के लिए एक मानदण्ड के रूप में उपयोगी हो सके। चयनित आयुक्तालयों के पास सेवाओं के आयात पर डाटा संग्रह के लिए कोई तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि आयुक्तालयों में जाँच के लिए अन्य मानदण्डों में से डीजी (लेखापरीक्षा) निर्धारिती मास्टर फाइलों के संतोषजनक रखरखाव एवं अद्यतन की जांच करे।

ज. विभाग समीक्षा करे एवं यदि आवश्यक हो, डीजीएसटी सैटअप के सशक्तिकरण पर विचार करे ताकि विभाग एसटी संबंधित मामलों में इससे अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सके।

सिफारिश के साथ सहमत होते हुए, मंत्रालय ने कहा कि डीजीएसटी के सशक्तिकरण का मुद्दा पहले से ही एक समिति द्वारा जाँच के अधीन है।

झ. विभाग को अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों में अपवंचन की संभावना को सुव्यवस्थित रूप से कम करने के लिए निर्धारित सूचना जैसे कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध कम्पनियों के लेखे, प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा कि प्रणाली विद्यमान है क्योंकि निगम मामले का मंत्रालय ने एमसीए-21 पोर्टल तक पहुँचने के लिए मुख्य आयुक्तों एवं डीजी (लेखापरीक्षा) को अनुमति दे दी थी। लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मंत्रालय का निगम मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर डाटा क्षेत्र तक अधिक अधिकारियों की पहुँच के विस्तार के मामले को जारी रख सकता है।